A STORE	Marrie Way An under	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रायपुर–थानों रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज,रायपुर के सामने देहरादून–248008
	metrin	वेबसाइट—www.ssssc.uk.gov.in E- mail: <u>chayanayog@gmail.com</u> विज्ञापन संख्याः 61 / उ0अ0से0च0आ0 / 2024 दिनांकः 17 सितंबर, 2024
		चयन हेतु विज्ञापन
		सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न विभागों में समूह 'ग' के अन्तर्गत

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न विभागों में समूह 'ग' के अन्तर्गत अपर निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, आशुलिपिक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	17 सितंबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	24 सितबंर, 2024
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	14 अक्टूबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि/अवधि	18 अक्टूबर, 2024 से 21 अक्टूबर,
	2024 तक
लिखित परीक्षा की अनन्तिम तिथि	08 दिसम्बर, 2024

- 02. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह 'ग' के अन्तर्गत अपर निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, आशुलिपिक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के **कुल 257** रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <u>www.sssc.uk.gov.in</u> पर दिनांक 14.10.2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- 03. इन पदों पर चयन प्रक्रिया 02 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी व लिखित प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अर्हकारी (Qualifying) टंकण परीक्षा एवं आशुलेखन परीक्षा होगी।
- 04. अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online mode में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अनन्तिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में दिये गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र तिष्ठि जाएंगे। अभ्यर्थी को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. से ही मिलेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का सही Phone/Mobile Number व E-Mail भरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। अत्यर्थी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। अत्यर्थी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट ख़्या के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट <u>www.sssc.uk.gov.in</u> को समय–समय पर देखते रहें।

05. <u>पदों का विवरणः</u> उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/नियमों/शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणिता सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/नियमों/शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः--

A- <u>पदनाम–</u> पदकोड–788 / 709 / 61 / 2024

अपर निजी सचिव

कुल पद-03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः-

	पदनाम/	211.1911			क्षैति	ज आरक्षण	के अन्त	र्गत रिक्त पव	रों की संख्या	
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		अ0जा0	01	-	-	-	-	-		. E.
ALL A	अपर निजी	अ0ज0जा0	-		-		-	-	-	
1.	सचिव (उत्तराखण्ड	अ०पि०व०	-	-	-		-		-	-
	राज्यपाल	आ0क0व0	01	-	-	-	-	-		
	सचिवालय)	अना0	01	-		-	-	_	-	
		योग	03		-	-	-			

(ii) वेतनमानः- रू० 47,600-रू० 1,51,100 (लेवल-08)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

- (iv) पद का स्वरूपः-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) <u>शैक्षिक अर्हताः-</u>

(a) अनिवार्य अर्हताः-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष अर्हता के साथ हिन्दी व अंग्रेजी दोनों आशुलिपि (Stenography) में 80 शब्द प्रति मिनिट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी / हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति घंटे की गति।

- (b) अधिमान्य अर्हतायें— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा चयन में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:—
- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या भूतपूर्व सैनिक हो, या
- 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

Junez

B- पदनाम-

वैयक्तिक सहायक

पदकोड-020 / 759 / 61 / 2024

कुल पद-03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

	पदनाम/	AL PAR 2 -		196 5 196	क्षैति	ज आरक्षण	के अन्त	र्गत रिक्त पव	रों की संख्या	
क्र0 सं0	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		अ0जा0	01	-	_	-	-		-	
D.S.	वैयक्तिक	अ০ত্ব০ত্বা০	-		-	-	-	-	-	
	सहायक	अ०पि०व०	-	-			-		-] –
1.	(उत्तराखण्ड सूचना	आ0क0व0	-			-	-	-	—	
	आयोग)	अना०	02	-	- 10	-	-	-	-	
		योग	03	-	-	-	-	-		-

- (ii) वेतनमान:- रू० 35,400-रू० 1,12,400 (लेवल-06)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूपः-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-
- (a) अनिवार्य अर्हताः-
 - 1. इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता।
 - 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।
 - 3. हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति।
 - 4. अंग्रेजी आशुलिपिक एवं टंकण में प्रवीण अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(b) अधिमान्य अर्हतायें— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः—

- 1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या
- 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

Huere te

आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक

C-. पदनाम—

पदकोड–760/072/61/2024

कुल पद-15

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः-

	पदनाम/		गितन		क्षैति	ज आरक्षण	के अन्त	र्गत रिक्त पव	तें की संख्या	
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	वैयक्तिक	अ0जा0	03	01			-	-	<u> </u>	
	सहायक	अ०ज०जा०	-	-	-	- •	-	-	-	
1.	(महाधिवक्ता	अ०पि०व०	02	01		-	-	-		1 -
	कार्यालय	आ0क0व0	01	-			-	- 19 - 19 -		
	उत्तराखण्ड,	अना0	09	02		:	-	× -	01	
	नैनीताल)	योग	15	04	-		-	-	01	-

(ii) वेतनमान:- रू० 29,200-रू० 92,300 (लेवल-05)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूपः-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त'।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं कम्प्यूटर परिचालन का ज्ञान रखता हो तथा टंकण में न्यूनतम 4000 की—डिप्रेशन की गति प्रति घण्टे एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रतिमिनट तथा हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रतिमिनिट होना चाहिए।

7.

(b) अधिमान्य अर्हतायें— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः—

- 1. प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
- 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'सी' अथवा 'बी' प्रमाण-पत्र ग्राप्त किया हो।

Sough

वैयक्तिक सहायक

D- . <u>पदनाम</u>—

3

पदकोड-832 / 760 / 61 / 2024

कुल पद-02

Page | 5

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः-

					क्षैति	ज आरक्षण	के अन्त	र्गत रिक्त पव	तें की संख्या	1-0.3
क्र0 सं0	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0से0 के आश्रित	भूतपूर्व । सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	वैयक्तिक	अ0जा0	01	-		- :	-		-	See.
	सहायक	अ0ज0जा0	-	-	-		-	-	11 -	
	(विधि	अ०पि०व०	-			- :	_	-	-	-
1.	विज्ञान	आ0क0व0	-		-		s <u>-</u> s	-		
	प्रयोगशाला,	अना0	01	-		-	-	-		
86-24	उत्तराखण्ड)	योग	02	—	-	- :	-	-		-

- (ii) वेतनमान:- रू० 29,200-रू० 92,300 (लेवल-05)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूपः-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) <u>शैक्षिक अर्हताः-</u>
- (a) अनिवार्य अर्हताः-
 - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।
 - हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की और कम्प्यूटर में हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा।
- (b) अधिमान्य अर्हतायें–
 - 1. कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो।

https://www.freshersnow.com/

serve

E- पदनाम—

....

वैयक्तिक संहायक

कुल पद- 22

रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः--

		पदनाम/		~		क्षैति	तेज आर	क्षण के स	अन्तर्गत रिक	त पदों का विवरण	
क्र0 सं0	पद कोड	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* 0	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	
	822/	वैयक्तिक सहायक	अ०ज०जा०	-	-	-		-	- 32)		
	760 /	(उत्तराखण्ड	अ०पि०व०	—	-	-		-	-	-	-
1	61/	राज्य विधिक	आ0क0व0		-	-	-	-	-	-	
	2024	सेवा प्राधिकरण नैनीताल)	अना०	01	01	-	-	-	-		
		Thinking	योग	02	01	-	-	-	- 27	- <u>2</u>	-
			अ0जा0		-	-		-	-	-	
	872/	वैयक्तिक	अ०ज०जा०		_	- 3		-		-	
-	760/	सहायक	अ०पि०व०	-	_	-	-	-	100-100	-	-
2		(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,	आ0क0व0	_	_	-	-	-	-		
	2024	ויין אוואיז אוואיז	अना0	01	-	_	-	<u> </u>	-	-	
	આલ્યાણા)	योग	01	-	-	_	-	-	-	-	
		2 वैयक्तिक	अ0जा0	-	-	-	- :	-	-	-	
	873/	सहायक	अ०ज०जा०	-	÷	-	- i	-	-	-	
	760/		अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-	-	-
3		(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,	आ0क0व0	-	-	-	-	-	1.2		
	2024	रापा जाविप्ररण, बागेश्वर)	अना०	01	-	-	-	-		-	
			योग	01	-		-	-	-	-	-
			अ০जা০	-	-	-	-	-			100
	874/	वैयक्तिक	अ०ज०जा०	-	-	-	-	-	-		
	760/	सहायक (जिला विधिक	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-	- 10 - 11	-
-	61/	सेवा प्राधिकरण,	आ0क0व0	1	-	-	-	-	-	-	
	2024	चमोली)	अना०	01	-	-	-	-	-	-	
			योग	01	- 1	-	-	-			_
			अ ०जा०	-	-	-	-	-	-	-	
	075 /	वैयक्तिक	अ0ज0जा0	-	-	-	-	_		-	
	875 / 760 /	सहायक	अ०पि०व०	-	-	- 2	-	-	-	-	-
5		(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,	आ0क0व0	-	-	-	-	-	_		
	2024	चम्पावत)	अना0	01		-	-	_			
			योग	01	_	_	_	_			_

Junet

Page | 6

2											
	1.1.2		अ০जা০	—	-	-	-		_	a state	
s."	876/	वैयक्तिक	अ०ज०जा०	-	-	-	-	-	-	-	
	760/	सहायक (जिला विधिक	अ०पि०व०	-	-		-	-	-	-	-
6	61/	्राजला गिंधकरण, सेवा प्राधिकरण,	आ0क0व0	Т		-	-	-	_	-	
	2024	देहरादून)	अना०	01	-	-	-	-		-	
			योग	01	-	-	- ,	-	-	-	-
	1.5		अ०जा०	1	-	-	-	-	-	-	
	877 /	वैयक्तिक	अ०ज०जा०	-	-	-			-	-	144
7	760/	सहायक (जिला विधिक	अ०पि०व०	-		-	-	-	-		-
	61/	सेवा प्राधिकरण,	आ0क0व0	1	-	-	-	-	-	-	
	2024	हरिद्वार)	अना०	01	-	-	-	-	-		
			योग	01		-	-	-	-		-
			अ০ত্যা০	-	(† -)	-	-	-	-		
	878/	वैयक्तिक	अ०ज०जा०			-	-	-	-	-	
8	760/	सहायक (जिला विधिक	अ०पि०व०	-	-	× -,	- ,	-			-
•	61/	सेवा प्राधिकरण,	आ0क0व0	-	-	-	- "	-	-		
	2024	नैनीताल	अना०	01	-	-	-		-		
			योग	01	_	-	-	-	-	-	-
			अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	
	879/	वैयक्तिक	अ०ज०जा०	-	-	-	-	-	-		
9	760/	सहायक (जिला विधिक	अ०पि०व०	_	-	-		-	-	-	-
	61/	सेवा प्राधिकरण,	आ0क0व0	-	-	-	-	-	2.4		
	2024	पौड़ी गढ़वाल	अना0	01	-	-	-	-	-		
			योग	01	-	-	-	-	-	_	-
			अ0जा0	-	-	-		-	1. – S.	-	
	880/	वैयक्तिक	अ0ज0जा0	-	-	-	-	-		-	
10	760 /	सहायक (जिला विधिक	अ०पि०व०		-	-	-	-	- S	-	-
	61/	सेवा प्राधिकरण,	आ0क0व0	-	-	-	-		-		
	2024	पिथौरागढ़	अना0	01	-	-	-	-	-		
			योग	01	-	-	-	-*-	-		_
			अ0जा0	-	-	-	-	-	-		
	881/	वैयक्तिक	अ०ज०जा०	-		-	-	-	-	-	
11	760/	सहायक (जिला विधिक	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-		-
	61/	सेवा प्राधिकरण,	आ0क0व0	-	-		-	T	ł	-	
	2024	रूद्रप्रयाग)	अना०	01	-	·	-	-	-	-	
			योग	01	-	-	-	1	H		-

Format

https://www.freshersnow.com/

5	-	A					100 M																												
	44		अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-																									
	882/	वैयक्तिक	अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	<u> </u>																										
12	760/	सहायक (जिला विधिक	अ०पि०व०	-	<- P	-	-	-			-																								
12	61/	सेवा प्राधिकरण	आ0क0व0	-	-	-	-	-	-																										
	2024	टिहरी गढ़वाल)	अना०	01	-	-	-	-	-	-																									
			योग	01	- 1	-		-1	-	-	-																								
		\	अ0जा0	-	- 1	-	-	-		-	1.16																								
	883/	वैयक्तिक सहायक	अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	_																									
13	760/	(जिला विधिक	अ०पि०व०	-	-	-		-	-	-	-																								
13	61/	सेवा प्राधिकरण,	आ0क0व0	-	10	_	-	_																											
	2024	ऊधमसिंह नगर)	अना०	01	_	_	_	1	_		1.50																								
		44(4)	योग	01		-	-	_	_	_	-																								
			अ0जा0	_		_	_	_	_	_																									
		वैयक्तिक	अ0ज0जा0	-	-	- /	_	-	_	_																									
	884 / 760 /	सहायक	अ०पि०व०	_	_	-	1	-	_	_	_																								
14	1	(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,	आ0क0व0	_	_	_	-	-	_	<u></u>																									
	2024	सया प्राधिकरण, उत्तरकाशी)	अना०	01	_		_	_	_																										
			योग	01		_		_																											
			জ০জা০	-	_	_	_	_		-																									
	885/	वैयक्तिक	अ০ত্ব০ত্বা০	-	_	-	-	_			1.1																								
	760/	सहायक	अ०पि०व०	-	- 1	-		_		_	-																								
15	61/	(स्थायी लोक अदालन	आ0क0व0	-		-		-	- 1	-																									
	2024	अदालत, –	अदालत, -	अदालत, अल्मोड़ा)		अदालत, -	अदालत, -		अदालत, –	अदालत, –	अदालत, –	अदालत, –	अदालत, –	अदालत, –	अदालत, –	अदालत, –	अदालत, –	अदालत, –	अदालत, –		अदालत, -		अदालत, –	अदालत, –		अदालत, –	अना०	01		-		-	-		
			योग	01	-	-	-	-			-																								
		वैयक्तिक	अ০ত্যা০	-	-	-	-	-	-	-																									
	889/	सहायक	अ০ত্রততা০	-	-	-	-	-	and the second																										
16	760/	(स्थायी लोक	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-		-																								
	61 / 2024	अदालत,	आ0क0व0 अना0	- 01	-	-		-		-																									
	2024	देहरादून)	योग	01	-	-		_		-	0.010.00																								
			अ0जा0	-	1	-		_		-	-																								
	890/	वैयक्तिक	अ০ত্ব০ত্বা০	-	_	_	_	_																											
	760/	सहायक	अ०पि०व०	-	-	_	_	_	_		_																								
17	61/	(स्थायी लोक	आ०क०व०	-	-	-	-	-	-																										
	2024	। अदालत, –	अना०	01		-	-	-	-																										
	2	वैयक्तिक सहायक	योग	01	-	-	-	-	-		-																								
			अ०जा०	-	-	-	-	-		-	The																								
	891/		अ০ত্ব০ত্বা০	-	- 24	-	-	-	-																										
18	760/	(स्थायी लोक -	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-		-																								
	61/	अदालत,	आ०क०व०	-	-	-	-	-	-	-																									
	2024	नैनताल)	अना0 योग	01	-	-		-	-	<u> </u>	and a																								
	-		याग	01	-	- N		-	-	-	-																								

Journal

Page | 8

https://www.freshersnow.com/

			अ0जा0	_	_	_	_	_	_	_	-
	802 /	वैयक्तिक	अ০তা০তা০	_	-	-	-	-	R. 12	-	
	892 / 760 /	and a second statement of the	अ०पि०व०	_	_	-	-	-	_	_	_
19	61/		आठक०व०	_		_	_	_		_	
	2024	अदालत, पौड़ी)	अना0	01	_	-	_	_	_	_	
	2024		योग	01	_	_	_	_	_	_	_
1			अ0जा0	-		-		-	-		
	895/	वैयक्तिक	अ0ज0जा0	-	5. - 50	-	-	-			1.1.1.1.1.1.1
	700 /	सहायक	अ०पि०व०	-	-	_	-	-	50 <u>–</u> 28	-	-
20		(स्थायी लोक अदालत, टिहरी	आ0क0व0	-	<u> </u>	-	_	-	_	-	
	2024	जपालत, १८हरा गढ़वाल)	अना0	01	-	-	_	-	-		
	2.5.13	işarcıy	योग	01	-	-	-	-	-	-	-
	19.52	वैयक्तिक	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	_	1.12.22
	896/	सहायक	अ0ज0जा0	-	(1) (1)	-		-	-	-	1.12
21	760/	(स्थायी लोक	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-		-
21	61/	अदालत,	आ0क0व0	-	- 4	-	-	-	-	-	
	2024	ऊधमसिह	अना0	01	-	-	-	-	-	<u> </u>	
25		नगर)	योग	01		-	-	-	-		-
		कुल योग		22	01	1	-	-	-		-

(ii) वेतनमान:- रू० 29,200-रू० 92,300 (लेवल-05) (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूपः-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।

- (v) शैक्षिक अर्हताः-
- (a) अनिवार्य अर्हताः-
 - 1. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
 - 2. हिन्दी आशु लेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनिट और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति होनी चाहिए।

(b) अधिमान्य अर्हतायें-

- 1. अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 5000 की–डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा।
- 2. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- 3. राष्ट्रीय कैडेटकोर का 'सी' अथवा 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

Amerite

F- पदनाम-

वैयक्तिक सहायक

कुल पद- 02

रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः-

		पदनाम/		-	1.3.2010	क्षैति	तेज आर	क्षण के अ	अन्तर्गत रिक	त पदों का विवरण	
क्र0 सं0	पद कोड	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		वैयक्तिक	अ0जा0	-	-	-	-	-	-		
	764 /	सहायक	अ০ज০जা০	4			-	-	-	- 191	
	760 /	(राज्य	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	_		-
1	1.	उपभोक्ता विवाद प्रतितोष	आ0क0व0	-		-	-	-	-		
	2024	आयोग) (राज्य	अना0	01	-	-	-	-	-		
		आयोग संवर्ग)	योग	01	-	-	-	-	-		-
2.18	18123	वैयक्तिक	अ0जा0	-	-	-	-	-	- 0	-	1000
		सहायक	अ0ज0जा0	-	-	- 1	-	-	-	-	
	764 /	(राज्य	अ०पि०व०	-	-	-	-	-			
2	760/	उपभोक्ता	आ0क0व0	01	57-799	-	-	-	-		
	61/	विवाद प्रतितोष आयोग) (जिला	अना0	-	-			-	- -		
	2024	उपभोक्ता संवर्ग)	योग	01	-	_	-	-	-	-34	-
		कुल योग		02	-	-	-	-	- 13		-

- (ii) वेतनमान:- रू० 29,200-रू० 92,300 (लेवल-05)
- (iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूपः-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) <u>शैक्षिक अर्हताः-</u>
- (a) अनिवार्य अर्हताः-
- 1- आशुलिपिक (राज्य आयोग) हेतुः-
 - 1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण।
 - 2. आशुलेखन द्विभाषी (अंग्रेजी एवं हिन्दी) आशुलिपि अंग्रेजी में 100 तथा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर अंग्रेजी एवं हिन्दी टंकण में क्रमशः 5000 एवं 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति तथा एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 2- आशुलिपिक (जिला फोरम) हेतु:-
 - उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण।
 - 2. आशुलेखन हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा हिन्दी टंकण में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति तथा एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है।

Some

https://www.freshersnow.com/

(b) अधिमान्य अर्हतायें— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-

- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
 राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

G- पदनाम-

वैयक्तिक सहायक

कुल पद- 207

रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः-

18	1	पदनाम/				क्षेति	तेज आर	क्षण के	अन्तर्गत रिक	त पदों का विवरण	
क्र0 सं0	पद कोड	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		वैयक्तिक	अ0जा0	-	-	-	-	-	-		
	447 /	सहायक	अ०ज०जा०	-	-	-	-	-	-	-	
	760/	(प्रशिक्षण एवं	अ०पि०व०	-	-	-	-	_		-	-
1	61/	सेवायोजन निदेशालय,	आ0क0व0	-		-		-			
	2024	उत्तराखण्ड,	अना0	04	01	-	-	-	10 <u>+</u> -	-	
		हल्द्वानी)	योग	04	01	-	-	-	-		-
			अ0जा0	05	01	2-	-	-	-	-	
	742 /	वयाक्तक सहायक	अ०ज०जा०	02	-	-	-	-	-		
2	760/	60 / सहायक 51 / (राज्य कर	अ०पि०व०	06	01	-	<u>-</u>	-			01 OL
2	61/2024		आ0क0व0	03		-	-	-		-	
			अना0	17	05	26	01	01	01	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	
			योग	33	07		01	01	01		01
			अ0जा0	05	01	-	-	-	-	-	
		*	अ०ज०जा०	01	-	-	-	-		-	
	679 / 760 /	वैयक्तिक सहायक	अ०पि०व०	01	-	-	-	-		-	- 1
3	61/	(वन विभाग,	आ0क0व0	-	_	-	-	-	-	84.798 - 1973	
	2024	उत्तराखण्ड)	अना0	07	02	-	-	-	-		
			योग	14	03	-	-	-	_		-
		Contraction of the second	अ0जा0	03	01	-	-	-	-		5.5
	434 /	वैयक्तिक	अ0ज0जा0	01	-	-	-	-	-		
		सहायक	अ०पि०व०	01	-	-	-	-	-		-
4	61/	(कृषि विभाग	आ0क0व0	-	-	-	-	-	-		
	2024	उत्तराखण्ड)	अना०	-		-	-	-	-		
	-		योग	05	01	-	-	-	_	_ 187.0-51	_

Some

Page | 11

		वैयक्तिक	अ0जा0	04	01	-	-	-	-	-	
	607/	सहायक	अ০ज०जा०	-		-	-	-	-		
5	760 /	(चिकित्सा स्वास्थ एवं	अ०पि०व०	01	-	-	-		-	-	- [
5	61/	परिवार	आ0क0व0	01	-	-	-	-	-		
	2024	कल्याण,	अना0	9	02	-	-	-	-	-	
	24	उत्तराखण्ड)	योग	15	03	-	-	-	-		-
		वैयक्तिक	अ0जा0	01	-	-	-	-			
	664 /	सहायक	अ0ज0जा0	-		-	-	-	-	-	
6	760/	(सम्भागीय / उपसम्भागीय	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	(- j	-	-
0	61/	परिवहन	आ0क0व0	-	-	-	-	-	-		
	2024	कार्यालय,	अना0	01	01	-	-	-			
		उत्तराखण्ड)	योग	02	01	-	-	-	-	-	-
		वैयक्तिक	अ0जा0	01	-	-	-	-	-		
	664 /	सहायक	अ०ज०जा०	-	-	-	-	-	1 - 1		-
-	760/	(परिवहन	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	_		
7	61/	कार्यालय, उत्तराखण्ड,	आ0क0व0	-	-	-	-	-	-		
	2024		अना0	03	<u></u>	-	-	-	-	-	1
		देहरादून)	योग	04	_	-	-	-	_	-	-
			अ0जा0	02	01	-	-	-	_		
	055 (सहायक (मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, राजस्व	अ0ज0जा0	01			-	-	_		
-	055/ 760/		अ०पि०व०	01	01	-	_	-	- 4	-	-
8	011		आ0क0व0	01	01	-	_	-	-		
	2024		अना0	02	02	_	-	-	_		
		विभाग)	योग	07	05	-	-	_	-	-	_
-			अ০ত্যা০	04	01	_	-	-	-	_	
		* •	अ0ज0जा0	_	_	-	_	-	-	_	
	625/ 760/	वैयक्तिक सहायक	अ०पि०व०	01		_	_	_			01
9	61/	(उत्तराखण्ड						1			(PB/ LV)
	2024	लोक निर्माण	आ०क०व०	02	-	_	-	-	-	-	,
		विभाग)	अना0 योग	20	06	-	01	01	01	02	
- 2			1418 12	27	07		01	01	01	02	01
			अ০ত্যা০	02	-	-	-	-	-		
	454 /	वैयक्तिक सन्प्राक	अ0ज0जा0 ম০দি০ল০	-	-	_	-	_			
10	760/	सहायक (समाज कल्याण	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-	-	-
	61/	(समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड)	आ0क0व0	-		-	-	-	-		
	2024					-	-	_			
	1	उत्तराखण्ड)	अना० योग	-	-						

2pml

Page | 12

	é.		अ०जा०	01	-	-	-	-	- 11 -		
	744 /	वैयक्तिक	अ0ज0जा0	-		-	-	-	-		
	760/	सहायक (कार्यालय,	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	—	-	-
11	61/	(कार्यालय, रजिस्ट्रार फर्म्स	आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	
	2024	सोसाइटीज एंव	अना0	01		-		-	-		1
		चिट्स)	योग	02	- 1	-	-	1-2	-		-
	1	* 0	अ०जा०	01		-	-	-	-	-	
	438/	वैयक्तिक सहायक	अ০ज০जা০	-	-	-	-	-		-	
10		(मुख्य नगर एवं	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-		-
12	61/	ग्राम नियोजन	आ0क0व0	-	_	0-	-	-		-	
	2024	विभाग उत्तराखण्ड)	अना०	01	-	-	-	-	-	-	
		ound-of	योग	02		-	-	-	—	-	-
1 A			अ०जा०	-	-	-	-	-	_	-	
	072/	वैयक्तिक	अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-		
13	760/	(उप श्रम आयुक्त	अ०पि०व०	-	-	- 1	-	-	—		-
13	61/		आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	
	2024	हल्द्वानी)	अना0	01	-	-	—	-	-	-	
			योग	01	-	-	-	-			-
			अ0जा0	-	-	-	-	-	-	(- 1997) - 1997) - 1997	
	448/	वैयक्तिक	अ0ज0जा0	Τ	-			-	-	-	
14	760/	सहायक	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-		-
14		(विभागीय लेखा	आ0क0व0	-		-	-	-		- /m	
	2024	उत्तराखण्ड)	अना0	01	-	-	-	-	-		
		E PARA	योग	01	-	-	-	-	—	-	-
		वैयक्तिक	अ ०जा०	01	-	-	-	-	-	4	
	784/	सहायक	अ0ज0जा0	-	-	-	-	-		-	
15	760/	(कार्यालय आबकारी	अ०पि०व०	-	—	-	-	-	-		-
10	61/	आयुक्त	आ0क0व0	-	-	-	-	-	0 . 2	-	
	2024	उत्तराखण्ड	अना0	1	-	-	-	-	- 33	-	
		देहरादून)	योग	01	-		-	-	-		-
			अ০ত্যা০	-	-	-	-	-	-		
	404/	वैयक्तिक	अ०ज०जा०	-	-	-	-	-		-	
16	700 /	सहायक (अर्थ एवं संख्या	अ०पि०व०	-	-	-	-		-		_
10	61/	जय एव संख्या उत्तराखण्ड,	आ0क0व0	-	-	-	-	-			
	2024	देहरादून)	अना0	01	-	-	-	-	-	-	
			योग	01	_	_	-	-		- 1	_

Sound

Page | 13

-वैयक्तिक अ०ज०जा० -----_ 426/ सहायक अ०पि०व० ----_ -_ 074/ (संस्कृति आ0क0व0 --61/ --_ _ -निदेशालय 2024 उत्तराखण्ड) --अना० -01 ---योग ---01 -_ _ -अ0जा0 01 ------अ০তা০তা০ ---_ ---वैयक्तिक 424 / अ०पि०व० ---01 01 सहायक 760 / --(डेरी विकास -61/ आ0क0व0 ------उत्तराखण्ड) 2024 अना० 01 ---_ -_ योग ---03 01 --अ0जा0 --_ ---_ वैयक्तिक अ०ज०जा० _ -----601/ सहायक अ०पि०व० ----760 / _ _ -आयूर्वेदिक एवं -61/ आ0क0व0 ----_ यूनानी सेवायें -----2024 उत्तराखण्ड) -अना० 02 -----योग --02 -_ _ _ -अ0जा0 -----_ -वैयक्तिक --अ0ज0जा0 -----161/ सहायक अ०पि०व० -------760/ (जिला पूर्ति 61/ आ0क0व0 ------अधिकारी टिहरी -2024 गढ़वाल) अना० ---. 01 -_ -योग -01 ---_ --**अ**०जा० 01 -------अ०ज०जा० ---_ _ -वैयक्तिक 070/ अ०पि०व० ----सहायक -_ 760/ -(श्रम आयुक्त, 61/ आ०क०व० --_ ----उत्तराखण्ड) 2024 अना० ---01 --_ योग -_ 02 ---_ -Agente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

_

_

_

_

_

-

-

-

_

_

_

-

_

-

अ0जा0

अ০তা০তা০

अ०पि०व०

आ०क०व०

अना०

योग

अ0जा0

वैयक्तिक

सहायक

(मत्स्य विभाग

उत्तराखण्ड)

•

17

18

19

20

21

22

634 /

760 /

61/

2024

-

-

-

-

01

01

-

_

-

_

-

-

-

_

Page | 14

and

		The second second		and show		1000		A TOTAL		the state and some state	
		* 0	अ0जा0	01	-	3-	-	-	- <u>-</u>		
	412/	वैयक्तिक सहायक	अ०ज०जा०	-	-	-	-	-	-	-	
-	760 /	60 / (होम्योपैथिक 61 / चिकित्सा	अ०पि०व०	-		-	-	-	-	- 19 -	-
23	61/		आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	
	2024	सेवायें, उत्तराखण्ड)	अना0	01	-	-	-	-	1	-	
		ound of	योग	02	-	-	-	-	-	-	3-3
		वैयक्तिक	अ0जा0	-	- 1	-	-	-		-	
	428/	सहायक कारागार	अ०ज०जा०	T	-	1-	-	-	-		
24	760/	प्रशासन एवं	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-	-] - [
	61/	सुधार सेवा	आ0क0व0	1	-	-	-	-	1		
	2024	विभाग (कारागार	अना0	01	-	-	-	I	-	-	
1	33	मुख्याालय)	योग	01		-	-	1	T	-	-
		वैयक्तिक	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	1
	428/	सहायक (कारागार	अ0ज0जा0	-	-	-	-	1	1		
25	760/	प्रशासन एवं	अ०पि०व०	-	-	-	-	1	ł		-
20	61/	सुधार सेवा विभाग) अधीनस्थ	आ0क0व0	Ţ	-	-	-	1	-	-	39
	2024		अना0	01		-	-	Ι	-	-	
	R Si	कारागारों हेतु	योग	02	-	-	-	1		-	-
		वैयक्तिक	अ०जा०	01	-	-	-	-	-	-	
	619/	सहायक (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जनपद	अ0ज0जा0	-	—	-	-	-	-	-	
26	760/		अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-		-
20	61/		आ0क0व0	-	-	-	-	-	-43	a.a -	
1	2024		अना0	1.000		-	-	-	-	-	
		चम्पावत)	योग	01	_	-	-	-	-		-
1		Stan Pre	अ0जा0	-		-	-	-	-	-	
	629/	वैयक्तिक	अ०ज०जा०	-		-	-	-	-	_	1288
27	760/	सहायक	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	- 1		-
	61/	(महिला कल्गणा विभाग)	आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	
	2024	कल्याण विभाग)		01	01	-	-	-	—		
			योग	01	01	-	-	-	(* - *)		L.
			अ0जा0	01	-	-	-	-			
	422/	वैयक्तिक	अ০ज০जা০	-	-	-	- 0	-	-		
28	760/	सहायक (भूतत्व एवं	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-		-
	61/	खनिकर्म	आ0क0व0	-	-	5.5	- 9	-	-		
2	2024	विभाग)	अना०	-	-			-			
			योग	01		-	-	-	-		-

Page | 15

4

.

		कुल योग		207	47	-	04	04	03	06	03
			योग		-	-	-	-			-
	2024	विभाग)	अना०		-	-	-	-		-	
33	61/	(ग्रामीण निर्माण,	आ0क0व0	-	-	-	-	-			
	760/	सहायक	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-	-	1 -
	613/	वैयक्तिक	अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0जा0	_	-	-	-	-	-	-	. 16
	1		योग	-	-	-	-	-	s. <u>-</u> 01	-	-
	2024	विभाग)	अना0	-	-	-	100-100	-		-	
32	61/	(प्राविधिक शिक्षा	आ0क0व0	-	- 1	-	-	-	-	-	
	448/ 760/	वैयक्तिक सहायक	अ०पि०व०	-	-	-	-	-	- S		
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	_	-	
			अ0जा0	_	_	-	-	-	_	_	
			योग	08	01	-	-	_			-
	2024	उत्तराखण्ड)	अना0	04	01	-	-	_	<u> </u>	_	
31	61/	(उद्योग विभाग,	आ0क0व0	01		-	-	-	_		
	406/ 760/	वैयक्तिक सहायक	अ०पि०व०	01	_	-		_	_	_	- 1
		andere	अ0ত্ব০ত্বা০	-	_	-	-	-	_	_	
1			अ०जा०	02	_	-	-	_		_	
			योग	09	02	-	-	_	_	_	_
	2024	विभाग, उत्तराखण्ड)	अना0	05	02	_	<u></u>			_	
30	61/	(पशुपालन	आ0क0व0	01		-	-	-	1	_	
	646 / 760 /	सहायक	अ०पि०व०	02		_	-	_			-
		वैयक्तिक	अ০তা০তা০	-	_	-	-	_	_	_	
8			জাগ জাগ	01	-	_	-	-	-	-	
			योग	49	14	-	02	02	01	02	01
	760 / 61 / 2024	उत्तराखण्ड)	अण्यित्वयः अना०	27	07	-	02	02	01	02	
29		सहायक (सिंचाई विभाग,	आ0क0व0	07	02	_	_	_		-	
	671/	वैयक्तिक	अ०५०५॥० अ०पि०व०	02	01	_	_	_		01	01 PB
			अ०जा० अ०ज०जा०	09 02	03	-	-	-	-	01	1

नोट— उपरोक्त तालिका के बिन्दु संख्या 32 तथा 33 पर अंकित नियोक्ता विभागों से आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या प्राप्त होने पर उक्त विभागों के पदों को तद्नुसार सम्मिलित किया जाएगा।

(iii) आयु सीमाः— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।
 (iv) पद का स्वरूपः—अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः-

made

Page | 16

(v) शैक्षिक अर्हताः-

(a) अनिवार्य अर्हताः-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के साथ—साथ हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है।

(b) अधिमान्य अर्हतायें– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

- 1. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,
- 2. स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

H- पदनाम—

पदकोड-020/075/61/2024

आशुलिपिक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर

कुल पद-03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः-

	पदनाम/	et. 2 al.	1694	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या								
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	आशुलिपिक	अ०जा०	01	-	-	1	-		-			
	सह डाटा	अ0ज0जा0	-		-	-	-	-				
1.	एण्ट्री आपरेटर	अ०पि०व०	-	-		-	-	1		1 -		
1.	जापस्टर (उत्तराखण्ड	आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			
	सूचना	अना0	02	-	-		-			1		
	आयोग)	योग	03	-		-	-			-		

(ii) वेतनमान:- रू० 25,500-रू० 81,100 (लेवल-04)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूपः-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः-

(a) अनिवार्य अर्हताः-

- 1. इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता।
- 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।
- 3. हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति।

(b) अधिमान्य अर्हतायें– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः–

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

and

Page | 17

I- पदनाम-

वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक ग्रेड—ii

पुदकोड-820 / 760 / 61 / 2024

कुल पद-02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः—

	पदनाम/	1000		क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या								
क्र0 सं0	विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	वैयक्तिक	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-			
	सहायक /	अ०ज०जा०	-	- 1	-	-	-	-	-	122		
	आशुलिपिक	अ०पि०व०	01	- 13	-	-	-	-		-		
1.	ग्रेड—ii	आ0क0व0	-	-	-	-	-	-				
	(उत्तराखण्ड	अना0	-	-	-		-	-				
	पर्यटन विकास परिषद्)	योग	02	-	_	-	-	-	· -	-		

(ii) वेतनमान:- रू० 25,500-रू० 81,100 (लेवल-04)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

- (iv) पद का स्वरूपः-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

- किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा परिषद्/संस्था से इण्टरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।
- हिन्दी आशुलेखन में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में क्रमशः 30 शब्द टंकण की गति तथा 4000 की–डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति होना आवश्यक है।
- 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर पर टंकण का पूर्ण ज्ञान।

(b) अधिमान्य अर्हतायें— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः—

- 1. प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

06. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया-

(i) उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 घन्टे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट–01 का अवलोकन करें। सामान्य व ओ०बी०सी० श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।

and

Page | 18

(ii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(iii) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) तीन प्रतियों(ट्रिप्लीकेटं) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है, तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(v) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नही दिया जाएगा।

(vii) ओ०एम०आर० शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/कटिंग आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(viii) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओ०एम०आर० शीट में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ०एम०आर० शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(ix) ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न–पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये मॉनीटर/कम्प्यूटर/टैब पर ही प्राप्त होंगे।

07. <u>अधिमानः</u>— लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा (आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी पहले तथा कनिष्ठ अभ्यर्थी बाद में आएगा), आयु के भी समान होने पर अग्रेंजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा तथा अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

०८. आयु:-

उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2024 है।

regen

https://www.freshersnow.com/

(क)—परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्याः 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्याः 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह—'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्याः 6/1/72 कार्मिक–2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

09. आवेदन हेतु पात्रताः-

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक हैं:--

(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास / स्थाई निवास प्रमाण–पत्र धारक हो।

(ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(घ) शासन के पत्रांक—1097/XXX(2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार ''जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। ''उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल. उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं, सम्मिलित हैं।''

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा N Page | 20

and

सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि, वह इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु अर्ह माना जाएगा।

(ड.) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।''

10. राष्ट्रीयताः-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :--

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तुं यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

____ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में उपरोक्तानुसार पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

11. चरित्रः–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य—व्यवहार उचित नही पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।

and

https://www.freshersnow.com/

12. वैवाहिक प्रास्थितिः-

. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

13. शारीरिक स्वस्थताः-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

शासनादेश संख्याः 374(1)xxx(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 02 नंवबर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में परिशिष्ट 2(च)में संलग्न है।

14. आरक्षणः-

- i. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।
- ii. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04%, अनाथ बच्चों हेतु 05%, कुशल खिलाड़ी के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक है, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 04 नवंबर, 2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु मान्य हो, को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- iv. उत्तराखण्ड की महिला अभ्यर्थियों को ऊर्ध्व श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है। उत्तराखण्ड की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- v. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्र के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vi. "भूतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो–(एक) अपनी पेंशन

Page | 22

Aund

अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सकीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण—पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तूत करना अनिवार्य होगा।

- vii. शासनादेश संख्या—310/xvII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण—पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य होनी चाहिए।
- viii. भारत सरकार की कार्यालय ज्ञाप संख्या– 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो पहले से ही राज्य सरकार की समूह 'ग' और 'घ' की सेवा में कार्यरत है, वह राज्य सरकार के अधीन समूह'ग' और 'घ' में उच्चतर श्रेणी या संवर्ग में किसी अन्य सेवायोजन को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिक हेतु यथाविहित आयु शिथिलता का लाभ प्राप्त कर सकेंगा, यघपि ऐसा अभ्यर्थी राज्य सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक हेतु यथाविहित आयु शिथिलता का लाभ के लिए अर्ह नही होगा।
 - ix. भारत सरकार के अधिसूचना संख्या(Notification N0). 36034/5/85-Estt.(SCT) दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 के अनुसार उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व किन्तु 01 वर्ष के अन्तर्गत आवेदन करने की दशा में उन्हें भूतपूर्व सैनिक हेतु निर्धारित आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।
 - x. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।
 - xi. ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र / पुत्री से अभिप्रेत है।
- xii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः-244/xxxvi(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 में उतराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा राज्य की राज्यधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।
- xiii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः—117/xxxvi(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा Page | 23

apart

'कुशल खिलाड़ी' से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में हैं, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं हैं, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588 / एक–4 / सा.प्र. / 2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता / प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगाः—

क्र0 स0	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल–10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल–8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल–7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप⁄अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल–6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
5	राष्ट्रीय खेल ⁄ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप ⁄ अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल ⁄ खेलों इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल—5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

परन्तु यह कि राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़िओं के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी। तथा समान श्रेणी की वरीयता के क्रम से तात्पर्या अपनी श्रेणी से है।

(xv) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा तथा आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।


<u>नोट 1:</u>— अभ्यर्थी पाठ्यकम हेंतु परिशिष्ट—1 तथा आरक्षण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिशिष्ट—2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ), 2(च) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी उक्त परिशिष्टों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार ही अपने प्रमाण—पत्र तैयार करवायें।

<u>नोट 2:</u>— उपरोक्त पदों के चयन का विकल्प लिखित प्रतियोगी परीक्षा तथा टंकण, आशुलेखन परीक्षा समाप्ति के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के सूमय मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।

Symp

Page | 24

15. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के चरण



- अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ई—मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ई—मेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है।
- ii. अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई—मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द समझा जायेगा एवं यू०के०एस०एस०एस०सी० द्वारा भविष्य में करायी जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।
- iii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझा जाएगा।
- iv. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग—इन के लिए आवश्यक है।
- अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ का आयाम (150w×200H px) और हस्ताक्षर का आयाम (150w×100H px) को जे0पी0जी0 / जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में अपलोड करना होगा।
- vi. आवेदन–पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नैट बैंकिंग/यू0पी0आई0 से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अथ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएग
- vii. तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें <u>chayanayog@gmail.com</u> पर ई–मेल करें।
- viii. अपरिहार्य कारणों से यदि एक उम्मीदवार द्वारा एक ही या ईमेल—आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक से अधिक सबमिट किए गए आवेदन भरें जाते है, तो उसके द्वारा भरा गया अन्तिम आवेदन मान्य होगा।
 - ix. यदि अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी का कटा हुआ शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जायेगा।
 - x. अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन–पत्र के Status वाले कॉलम में Completed प्रिन्ट न लिखा हो।

https://www.freshersnow.com/

- xi. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ समझा जाएगा।
- xii. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।
- xiii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन—पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग⁄साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

16. शुल्क:-

अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:--

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क (रू०)
01	अनारक्षित (Unreserved)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	300.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC) / उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	150.00
03	उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)	150.00
04	अनाथ (ORPHAN)	00.00

17. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़े:-

(1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण–पत्रों/ संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नही है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थी ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः—79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थीयों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें।

(pomb

https://www.freshersnow.com/

(3) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण–पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग (FIR) भी दर्ज कराया जाएगा।

(4) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश—पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नही होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नही था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(5) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली—भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही—सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों / प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(7) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(8)आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण–पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(9) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों / नियमावलियों / मैनुअल्स / मार्ग—दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।

(10) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

Amerek

https://www.freshersnow.com/

(11) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई—मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नही है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें ताकि आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नही होगा।

(12) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(13) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी / कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन / आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नही होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।

(14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

(15) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता / शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(16) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम—2023 अधिनियमित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम—2023 समय—समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेंगा। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैल्कुलेटर, पेजर, चिप, कम्प्यूटर को प्रभावित करने का कोई उपकरण) इत्यादि उपकरण ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा। उक्त अधिनियम का उल्लघंन करने वाले पर उत्तराखण्ड Page | 28

2 mil

https://www.freshersnow.com/

प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 समय–समय पुर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कार्यवाही की की जाए

(17) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए-

अ०जा०	-	अनुसूचित जाति
अ०ज०जा०	-	अनुसूचित जनजाति
अ०पि०व०	-	अन्य पिछड़ा वर्ग
अ०क०व०	-	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
अना0	-	अनारक्षित
ओ०एल०	-	एक पैर प्रभावित
एल०वी० / पी०बी०	-	कम दृष्टि / आंशिक दृष्टिहीन

(सुरेन्द्र सिंह रावत) सचिव

परिशिष्ट-2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र (जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री......

उत्तराखण्ड की...... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950(जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ०प्र०) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री / श्रीमती / कुमारी		तथा / अथवा	उनका	परिवार
उत्तराखण्ड के ग्राम	तहसील	नगर		
जिला	में सामान्यतया रहता है।			

स्थान :-दिनांक :--

हस्ताक्षर	
पूरा नाम	
पदनाम	
मुहर	

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ख)

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण—पत्रों के प्रपत्र। प्रमाण—पत्र का प्रारूप उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र
(जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्रीनिवासी ग्रामनिवासी ग्राम
तहसीलजिलाजिलाजिला
उ०प्र० लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण
अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची—1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त
है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची—2 में अधिसूचना संख्या—22/16/92—का—2/1995 टी.सी.
दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री / श्रीमती / कुमारी		तथा / अथवा	उनका	परिवार
उत्तराखण्ड के ग्राम	तहसील	नगर		
जिला	.में सामान्यतया रहता है।			

स्थान	नः–
दिनां	क :

हस्ताक्षर	
पूरा नाम	
पदनाम	
मुहर	

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ग)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या—64 / XXXVI(3) / 2019 / 19(1) / 2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण–	-पत्र	संख्या				वर्ष.	हेतु मान्य	दिनांक
	यह	प्रमाणित	किया	जाता	है	कि	श्री / श्रीमती / कुमारी	
पुत्र / प	त्नी,	/ पुत्री					ग्राम /	मोहल्ला
पोस्ट व	uith	ज्य				f	जेला	पिन कोड

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी / स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक र 8.00 लाख(रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता हैं :--

- कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी......जो कि......जो कि.......जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर	सहित	कार्यालय	की	मुहर
नाम				
पदनाम				

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

परिशिष्ट-2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या—4/23/1982—2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997 (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्रीनिवासी ग्रामनिवासी ग्राम
१हसीलजिलाजिला
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व
सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता
संग्राम सेनानी है और श्री∕श्रीमती∕कुमारी(आश्रित)
पुत्र / पुत्री / पौत्र / पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही
गवधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :--दिनांक :--

हस्ताक्षर	
पूरा नाम	
पदनाम	
मुहर	
जिलाधिकारी	

परिशिष्ट-2(च)

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्याः—.....

0	and the second se
ਜਾਤ	ख
VIIV	G

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....

सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री......पहचान चिह्न......पहचान चिह्न.....

.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक(लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात(फॉलिज)

i. दोनों टांगे(बी. एल.) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
ii. दोनों बांहें(बी. ए.) – दोनों बांहे प्रभावित (क) दुर्बल पहुंच (ख) कमजोर पकड़
iii. दोनों टांगे और बांहें (बी.एल. ए.) – दोनों टांगे और दोनों बांहें प्रभावित
iv. एक टांग(ओ.एल.) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां) (क) दुर्बल पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

v. एक बांह (ओ.ए.) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

vi. पीठ और नितम्ब (बी.एच.) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन(बैठ और झुक नहीं सकते) vii. कमजोर मांस पेशियां (एम.डब्लू.) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –
i. बी. – अंधता ii. पी. बी. – आंशिक रूप से अंधता
ग. कम सुनाई देना
i. डी. – बधिर ii. पी. डी. – आंशिक रूप से बधिर (उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)
2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती—वर्षोंवर्षोंमहीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *
3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशतहै।
4. श्री / श्रीमती / कुमारीअपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते / करती हैं:—
i. एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं ii. पी.पी धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं iii. एल- उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं iv. के.सी घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं iv. के.सी घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं v. बी- झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं v. बी- झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं vi. एस- बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं vii. एस.टी खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं viii. इब्लू- चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं viii. डब्लू- चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं ix. एस.ई देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं x. एच- सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं xi. आर.डब्लू- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं
(डाo) (डाo) (डाo) सदस्य सदस्य सदस्य चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित (मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

भाग-01 विज्ञापन संख्या 61 / उ०अ०से०च०आ० / २०२४, में विज्ञापित पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विषय-सामान्य हिंदी (भाषा एवं साहित्य) - अंक- 20 1. भाषा एवं हिंदी भाषा : भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखण्ड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ (कुमांउनी, गढ़वाली, जौनसारी)। 2. लिपि एवं वर्णमाला : देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण-दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएँ। स्वर एवं व्यंजन, हिंदी अंक। 3. हिंदी वर्तनी (स्पैलिंग) : विश्लेषण, शुद्ध-अशुद्ध, विराम चिह्न, हिंदी अंक। 4. शब्द संरचना : वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया–विशेषण, क्रिया; लिंग, 5. शब्द भंडार : तत्सम, तद्भव, देशज, आगत (भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी-में आए प्रचलित शब्द), एकार्थी अनेकार्थी, विपरीतार्थी (विलोम), पर्यायवाची। संधि : स्वर संधि, व्यंजन संधि । 7. वाक्य परिचय : वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य-शुद्धि। अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, (परिचय एवं वाक्य प्रयोग) -9. पत्र लेखन : टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी पत्र। 10. जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग : संचार (मीडिया) के विभिन्न माध्यम, समाचारपत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, टीवी (दूरदर्शन)। 11. हिंदी कंप्यूटिंग, फॉण्ट, टाइपिंग, पेज-लेआउट। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय (उत्तराखण्ड राज्य एवं एनसीईआरटी की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार) 12. पद्य : कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल 13. गद्य : राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीतांबर दत्त चतुर्वेदी, मुक्तिबोधं, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी। बड्थ्वाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहरश्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी। - FE al allo 200

(अंक-40) भारा-2 सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन भाग-2(क)-मानसिक योग्यता एवं तर्कशक्ति (Reasoning) इस माग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उददेश्य विसिन्न नवीन परिस्थितियों को समुझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने, तर्क करने की योग्यता तथा दीर्घकालिक समृति का मापन करना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जो बोद्धिक क्रियाओं, सामाजिक बुद्धि, गणितीय योग्यता, शाब्दिक एवं अशाब्दिक तार्किक शक्ति, मूर्त एवं अमूर्त तार्किक शक्ति, गुणालक एवं मात्रात्मक तार्किक शक्ति, आरेखण, अनुदेशों को समझने तथा समानताओं व असंगतताओं का पता लगाने से सम्बन्धित हैं। जिसकी विषय वस्तु निम्नलिखित है। अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण 7. आकृति निर्माण 8, आकृतियों की गिनती 1. वर्पण एवं जल प्रतिबिम्ब 9. सन्निहित आकृतियां 2. श्रृंखना 10.आकृतियों की पूर्ति 3. सावृश्यता 4: वर्गीकरण 11.आकृति आव्यूह 12.सनरूप आकृतियों का समूहीकरण 5. कागज मोड़ना 6. कागज काटना शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण 16, गणितीय संक्रियाएं. 17. आहव्यूह (मेट्रिक्स) -1. वर्णमाला परीक्षण 2. कूटलेखन/कूटवाचन परीक्षण 18. बैठक परीक्षण 19. आंकड़ों की पर्याप्तता 3. सिन्तता की पहचान 20. इनपुट आउटपुट पासवर्ड (कम्प्यूटर से 4. सादृश्यता 5. श्रृंखला परीक्षण सम्बन्धितो 21. संख्या एवं अवधि निर्धारण 6, क्रम व्यवस्था परीक्षण 7. दिशा ज्ञान परीक्षण 22. केलेण्डर 23. कथन,निष्कर्ष एवं निर्णयन 8, अञ्च एवं समय क्रम परीक्षण 9, निगमनात्मक परीक्षण . 24. न्याय निगमन 10. रक्त सम्बन्ध पेरीक्षण 25. पहेली परीक्षण 11. गणितीय चिन्हों को कृतिम स्वरूप प्रवान 26, समस्या समाधान 27. सामाजिक बुद्धि (नैतिक आचार-विचार) करना 12. धारणा परीक्षण -2.8. शब्द निर्माण 29. लिपिकीय अभिक्षमता 13. कथुन एवं तर्क 14. वर्गीकरण 15. आलेख वेन जायग्राम

Rapus

Fundamental of Computers Syllabus

10,10 20

Unit 1: Basic Concepts : Introduction to Computers, Classification and Generations of computers; Block Diagram of Computer, Hardware, Software, Firmware, Input devices, Memory and Storage Devices, Central Processing Unit, Output devices and Computer Ports, Software: System software and Application Software, Concept of Algorithm and Flowchart, Generations of Programming Languages.

'Unit 2: Operating System

Concept of Operating System, Operating System : Open and Proprietary, Various of Windows, Realares of Windows Operating System, Windows Desktop, Booting, Shut Down and Standby options, Start Menu, Keyboard Shortcuts; Application Management using Control Panel, Installing and Uninstalling a software; System Tools; Disk Cleanup, Disk Fragmentation, Working with Windows Explorer; Basics of Linux

Unit 3: Software Packages Word Processing: Word processing concepts, Working with word document: Opening, Closing and saving options, Editing text, Find and replace text, Language checking and thesauruses, Formatting, spell check, Autocorrect, Autotext; Bullets and numbering, Paragraph Formatting, Indent, Page Formatting; Header and footer; Tables: Inserting and importing of tables, filling and formatting a table; Pictures and Video; Mail Merge; Printing documents; Keyboard Shortcuts

Spreadsheet: Spreadsheet.concepts, Managing worksheets, Formatting of Worksheets and Cells, Entering data, Editing; Printing a worksheet; Organizing Charts and graphs; Formulas and Functions: Handling operators in formula; generally used Spreadsheet functions: Mathematical, Statistical, Financial, Logical, Date and Times; Keyboard Shortcuts

Presentation Software: Introduction and creation of the presentation, Use of Templates; Adding new slide, Navigating across slides; Use of Master Slide, slide show, Saving and Opening of presentation, Text formatting options, Copy, Move, Delete slides, Applying designs, Using Animations, Slide Transitions, Insert clip art, Insert sound/movies, Viewing the presentation; Taking printout of presentation/Handouts; Keyboard Shortouts.

Unit 4: Working with Internet

Basics of Computer Network and Internet, Working with Internet, ISP, Web Browsers, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator (URL) and Domsin Names, Uses of Internet, Concept of Search Engines, IP Address, Applications of Internet, Chatting, Video-Conferencing, Email: Manage an B-mail Account, B-mail Address, configure B-mail Account, log to an B-mail, Sending and Receiving e-mails, sending files as attachments, Address Book; Uploading/ Downloading Files, Net Etiquettes. Social impact of ICT in Education, health care and Governance

Unit 5: Cyber Security Virus, Worms, Trojan and Anti-Virus software, Spyware, Malwure, Spams, Data Backup and Recovery Tools, Indian IT ACT, Types of Cyber Crime, firewall, Cookies, Hackers and Crackers, Cyber Security Techniques; Authentication, Encryption, Digital Signatures, Anti-Virus, Firewall, Steganography.



सिन्ध घाटी सभ्यता- नामकरण; सामाजिक व आर्थिक स्थिति; नगर योजना व भवन निर्माण। <u>19 जाना प्रा</u> वैदिक सम्यता- पूर्व वैदिक काल; सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति; राजनीति, साहित्य व धर्म। जत्तर वैदिक काल- सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन; साहित्य व धर्म। महाकाव्य काल- रामायण व महासारत कालीन समाज व राजनीति। <u>मौर्यकाल</u> मौर्यवंश की स्थापना; चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक व उत्तका धम्म; मौर्यकालीन प्रशासन, समाज व कला। <u>जनराज</u>्य गाउन्द्र नय जनराज्य, नारद्वण गान्य जनपत्र जनाय जनाय गान्य विक्राय कांग्रे भाषण व वर्षा । उत्तर सौर्य काल– पारसी, यूनानी,शक व कुषाण संपर्क तथा उसके सांस्कृतिक प्रसाव; शुंग व आंध्र सातवाहन वंश । <u>अस्य भाषान्त</u> अत्यत्र सामग्र, अस्य स्वतं राष्ट्र, स्वतं साम्राज्य; 600–1200 के मध्य भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं जत्तर गुप्त काल– हर्षवर्धन; राजपूत शासक; चोल व पल्लव साम्राज्य; 600–1200 के मध्य भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं अरब व तुर्की आक्रमण - इस्लाम की स्थापनाः मुहम्मद-बिन कासिम, महमूद यजनवी व यौरी के आक्रमणन दिल्ली सल्तनत- युंलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद व लोदी वंश, प्रशासनं, समाज, साहित्य, कता व स्थापत्य, आर्थिक नीलि, साम्राज्य विस्तार व अन्य नीतियाँ। <u>बहमनी व विजयनगर राज्य</u>- मुख्य शासक व उनकी उपलब्धियाँ, साहित्य, कला.व संस्कृति पर प्रमाव। भवित्त आन्दोलन व सुफी आन्दोलन- मुख्य संत व उनके प्रभाव। <u>मुगल काल</u> मुगल शासक व शेरशाह सूरी, मुगल प्रशासन व नीतियाँ मनसबवारी व्यवस्था, धार्मिक व राजपूत नीति, मुखला ल सिख- मराठा राज्य व इनक मुगलों से सम्बन्ध; सिख गुरू व इनके मुगलों के साथ सम्बन्ध। यूरोपियों का भारत में आगमन- पुर्तगाली, डच व फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। बिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी—(1767—1858)—मारत में साम्राज्य विस्तार, आर्थिक नीति व उसके प्रमाव; प्रशासनिक नी, तेयों; गंवर्नर व गवर्नर जनरल; चार्टर एक्ट व अन्य एक्ट; सामाजिक सुधार। ब्रिटिश, शासन(1858-1947) 1867 का विद्रोह कारण, मुख्य घटनाएँ व प्रसाव। व्रायस्राय व उनकी. नीतियाँ। भारतीय समाज में सामाजिक व धार्मिक सुधार आन्दोलन। अाएत में राष्ट्रवाद का विकास-साइतीय राष्ट्रवाद के विकास के कारण। सारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापनाः उवारवादी व अतिवादी दल। बंगाल का विभाजन, स्ववेशी आन्दोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन(1907), मालें 'प्रयंग विंश्वयुद्ध और राष्ट्रीय आन्दोलन- होमफल आन्दोलन, लखनऊ समझौता(1916), 1817 की अगस्त चोशणा, गांधी युरा, भारत एवं विवेश में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम्(१७१७), रहा, पर आधिनियम्(१७१७), जलियाँवालाबाग नरसंहार(13 अप्रैल 1919), खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौराचौरी की घटना, उत्तराज करी, राष्ट्रिमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहोर अधिवेशन, सविनय अवझा आंधोलन. प्रथम राहानेन साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहोर अधिवेशन, सविनय अवझा आंधोलन. प्रथम राहानेन सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता,विवींय व तृतीय गोलमेप्न सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड व पूना समझौता। to openio.

भाग-2(ख)-इतिहास (भारत एवं विश्व)

A NAMES OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION

भारत सरकार अधिनियम(1936)-पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, मारत छोड़ो आन्दोलन, कैबिनेट मिल्ला, जा-हिन्द फ़ौज, अन्तरिम सरकार, माउन्टबेटेन योजना, मारतीय स्वतंत्रता अधिनियम(1947), मारत का विभाएडा, आजावी

बाद के सारत की मुख्य घटनाएँ।

- ' *.

... is

यूरोप में पुनर्जागरण व उससे सम्बन्धित मुख्य साहित्यकारों, कलाकारों व वैज्ञानिकों का योगवान। ब्रिटेन के राजवंश- हेनरी अस्टम, एलिजाबेथ, जेम्स द्वितीय तथा विक्टोरिया के समय की मुख्य घटनाएँ। फ्रांसीसी क्रान्ति। अमंरीका का स्वतंत्रता संग्राम।

खसी क्रांन्ति। प्रथम व वितीय विश्व युद्धों के मुख्य कारण।

भाग-2(ग)-भूगोल (भारत एवं विश्व)

विश्व का भूगोल :- विविध शाखाएं, सौर मण्डल की जत्पत्ति, अक्षांश-देशान्तर, समय, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, ग्रहण महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पति, उच्चावच्च, पर्वत, पठार, मैवान, झील, चट्टान, प्रवाह तन्त्र, जलमण्डल : समुद्री लवणता, समुद्री धाराएं, ज्वार भादा, वायुमण्डल : वायुमण्डल की परतें, संरचना, तापमान, हवाएं, चकवात, आर्दता, कृषि, पशुपालन, उर्जा एवं खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रवास, प्रजातियां एवं जनजातियां, परिवहन, वैश्विक तापन, व्यापार (क्षेत्रीय आर्थिक समूह) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। भारत का भूगोल :--- भौगोलिक परिचय, उच्चावच्च एवं संरचना, जलवायु, प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक दनस्पति, पशुपालन, मिट्टी, एवं जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय नवी घाटी परियोजना, कृषि : फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनसंस् एवं नगरीकरण, जनजाति, प्रवास, परिवहन, संचार, विवेश व्यापार, अधिवास, जनजाति, पर्यावरणीय संकट : हवा, पानी, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनः कारण एवं प्रसाव।

गाँधीवाद (Gandhism) (क) गाँधी जी के राजनीतिक विचार (2)Tegel

- (घ) भारत विभाजन के कारण
- (ग) माउण्टबेटेन योजना
- (ख) कोदिनेट मिशन योजना
- भारत का विभाजन (क) मुस्लिम लीग और उसकी माँगे
- (ग) अगस्त-क्रांति, 1942 -(व) भारत छोड़ों आन्वोलन की असफलता के कारण
- (ख) सुमाष चन्द्र बोस और आज़ाद हिन्द फौज
- (क) दितीय विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव भारत छोड़ो आन्दोलन (豆)
- * अ (घ) पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव
- (ग) नेंहरू रिपोर्ट ·

(य)

- (ख) नमक सत्याग्रह- दाँडी कूच
- (क) साइमन कमीशन
- (स) सविनय अवज्ञा आन्दोलन
- (च) असत्वयोग आन्दोलन की असफलता के कारण.
- (ड.) असहयोग सान्दोलन (1) सकारात्मक पहलू (11) नकारात्मक पहलू
- (ग) रौलेट अधिनियम (घ) जलियाँवाला बाग नरसंहार(13 अप्रैल 1918)
- (ख) एम०के० गाँधी का भारत आगमन
- (क) प्रयम विश्वयुद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव (ब) असहयोग आन्दोलन -
- · (vii) बंगाल का विमाजन, 1995
- . (ग्रां) भारतीय राष्ट्रीय महासमा की स्थापना, 1885 (णांग) स्वातन्त्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की 'अभिमद-भारत' संख्या
- (ए) भारत का आर्थिक शोषण
- (रू) सारत में छापेखाने का प्रारम्भ
- (गं) भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ (111) संन् 1857 का भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम
- (ग) स्वामी विवेकानन्द एवं राम कृष्ण मिशन
- (ख) महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं आर्य समाज
- (1) भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान (क) राजा राममोहन राय एवं ब्रह्मसमाज
- (अ) राष्ट्रीय जागृति के उत्त्य के कारण
- (1) राष्ट्रीय आंन्दोलन

भाग-2(घ)-राजनीति विज्ञान

2

(i) अहिंसा (ii) सत्य (iii) सत्याग्रह (iv) राजनीति का आध्यात्मीकरण

(ए)राम--राज्य का विचार

(ii) अछूतोद्धार एवं अस्पृश्यता-निवारण

(1) अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार

(1) कुटीर उद्योग काधारित अर्थव्यवस्था

(3) भारतीय राजव्यवस्था(Indian Polity)

(iii) 'सर्व-अर्म समभाव' की अवधारणा

(17) मौलिक अधिकारों का समावेश

उपचारों की व्यवस्था व उसका महत्त्व।

(क) भारतीय संविधान की विशेषताएँ (1) लोकतान्त्रिक व्यवस्था (ग्रं) गणतान्त्रिक व्यवस्था

(iv) सहयोगी संघवाद

(ख) मौलिक अधिकारों की अवधारणा

(11) संरक्षता का सिद्धान्त

(v) विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था

(111) स्वावलम्बन

(1)सर्वोदय की अवचारणा

(ख) गाँधी जी के सामाजिक विचार

(iii) 'इरिजन' की अवधारणा

(ग) गाँधी जी के आर्थिक विचार

र्राष्ट्रीय एकता व अखंडता

(ग) मौलिक कर्तव्य

(घ) नीति निदेशक तत्व(आधारभूत अवधारणाएँ) -

उदारवादी, गाँधीवादी, समाजवादी तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

• समानता-- स्वंतंत्रता-- धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार-संवैधानिक

नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का महत्त्व, समाजिक सहकार व वैज्ञानिक सोच का

, विकास, पर्योवरण-संरक्षण, नारी की गरिमा का सम्मान, बचपन का संरक्षण,

• की अवधारणा

भारतीय संसद

राष्ट्रपति, छपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधि-निर्माण प्रक्रिया, अध्यादेश, आपात्कालीन स्थिति में संसदीय व्यवस्था पर प्रसाव, प्रधानमंत्री, मन्त्रिपरिषव-अधिकार व शक्तियाँ, प्रधानमंत्री व मन्त्रिपरिषद् पर संसदीय नियन्त्रण

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

'गठन, कार्यप्रणाली, शक्तियाँ, न्यायापालिंका की स्वतंत्रतता, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन

saycell

नागरिकता

भारत की नागरिकता प्राप्त करने की दशाएँ नागरिकता का लोप होने की दशाएँ

राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल

राष्ट्रीय दल का स्तर प्राप्त होने की दशाएँ क्षेत्रीय दल की विशेषताएँ क्षेत्रीय दल का महत्व एवं भूमिका भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रावधान, आरक्षण की समस्या, आरक्षण की उपयोगिता, आरक्षण के प्रावधानों की कमियां

पंचायतीराज (स्थानीय स्वशासन)

शहरी स्थानीय स्वशासन (1) नगर निगम (2) नगर पालिका

<u>ग्रामीण स्थानीय स्वशासन</u> त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वशासन की संरचना, कार्य–प्रणाली एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण <u>उत्तराखण्ड का पंचायतराज अधिनियम</u> सूचना का अधिकार अधिनियम (2005)

(4) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र संघ–संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ के उदेश्य, महासभा, सुरक्षा परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियां, विश्व शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका

<u>पर्यावरण—</u> वैश्विक तापन की समस्या, निदान एवं समाधान हेतु प्रयास, प्रदूषण की समस्या, निदान एवं समाधान हेतु प्रयास

मानवाधिकार

मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास

शस्त्रों की होड़

शस्त्रों की होड़ को नियंत्रित करने हेतु यू०एन०ओ० के प्रयास

भूमण्डलीकरण

भूमण्डलीकरण की आवश्यकता, गुण एवं अवगुण

दक्षिण–एशिया

दक्षिण--एशिया की समस्याएँ

सार्क (SAARC) –संगठन, उद्देश्य, उपलब्धियाँ एवं समस्याएँ

माग-2(ङ)-अर्थशास्त्र

<u>भारतीय अर्थव्यवस्थाः</u> भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषतायें, जनांकिकीय प्रवृत्तियाँ, भारतीय कृषि की विशेषतायें– उत्पादन एवं विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास एवं समस्यायें, लघु उद्योग, सूक्ष–लघु एवं मध्यम उद्योग–विकास व समस्यायें, नीति, नीति आयोग, मुद्रा एवं वित, नई आर्थिक नीति, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, आयोग, मुद्रा एवं वित, नई आर्थिक नीति, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, आयोग, सुद्रा योजनायें, भारतीय संघींय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, भारत का विदेशी सामाजिक सुरक्षा योजनायें, भारतीय संघींय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापास–प्रवृत्ति एवं विशा, भुगतान संतुलन, विवेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन।

<u>भाग—2(च)—राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ</u> विश्व के देश, महाद्वीपए प्रमुख अंतरिक्ष घटनाक्रंभ विश्व के धर्म, विश्व के आञ्च्य, भारताय राज्य, भारत/विश्व की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, राज्य, भारत/विश्व की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा वकनीकी विकास, कम्प्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियां, प्रमुख वरर, प्रमुख सागर–महासागर, विश्व के प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियां, प्रमुख वरर, प्रमुख भाषायें विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख मानव क्षधिकार एवं कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषायें विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण, तिथियां, खेल परिवृश्य, प्रमुख खेल एवं सम्बन्धित शब्दावली, सम्मेलन/प्रदर्शनी/कान्फ्रेस, प्रमुख रिपोट और राजनीतिक घटनाक्रम।.

उत्तराखण्ड से संबंधित विविध जानकारियाँ

भाग-3

1. जत्तराखण्ड का भौगोलिक परिचयः स्थिति एवं विस्तार, पर्वत, चोटियां, हिमनद, नदियाँ, झीले, प्राकृतिक संसाधनं, वन

2 उत्तराखण्ड का इतिहास - ब्रिटिश कान से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के उपरान्त प्रमुख राजवंश यथा- कत्यूरी शासन काल, चन्द्र शासन, गोरखा, पंवार एवं ब्रिटिश शासन इत्यावि, स्वतन्त्रता संग्राम में उत्तराखण्ड की भूमिका, प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी एवं विभूतियां, उत्तराखण्ड के विविध आन्दोलन यथा कुली बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पालकी, स्वतन्त्रता के उपरान्त के आन्दोल्न चिपको, नशा नहीं रोजगार दो एवं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के विविध पत,

 उत्तराखण्ड जल स्त्रोत, मुख्य नदियां, परम्परागत जल स्त्रोत यथा नौलां, धारा, पोखर, चाल-खाल, गाड़-गधेरा; सिंचाई कें परम्परागत साधन यथा गूल, नहर, नलकूप, हैण्डपम्प एवं विविध सिंचाई योजनायें, इनदी घाटी

(अंक-40)

- 4. उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था :- कृषि, प्रमुख फसले, व्यावसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्यायें, उद्यान, पुष्प, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन इत्यावि, लघु व कुटीर उद्योगों की वर्तमान दशा यथा छन, काष्ट, लौह, ताम्र उद्योग इत्यादि, जत्तराखण्ड में विभिन्न उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की वर्तमान दशायें, रोजगार की प्रवृत्तियां, पतायन का संकट
 - उत्तरांखण्ड का सांस्कृतिक पक्ष परंपरा, रहन-सहन, भाषा-बोली, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक
 - 6, उत्तराखण्ड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनांकिकी, उत्तराखण्ड में जमींवारी उन्मूलन एवं भूमि बन्दोबस्त, लगान एवं
 - रैतवाड़ी, राजस्व पुलिस व्यवस्था
 - 7. उत्तराखण्ड में शिक्षाः सामान्य शिक्षा, वकनीकी शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा की दशाएँ एवं तत्सम्बन्धित समस्यायें।

 छत्तराखण्ड में पर्यटन :- धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएँ यथा चार धाम यात्रा, नन्दा राजजात, आध्यात्मिक यात्राएँ इत्यादि, प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, साहसिक पर्यटन यथा पर्वतारोहण,राफ्टिंग, ट्रेकिगं इत्यादि, रेल, वायु तथा सड़क परिवहन एवं तत्सबंधित समस्यायें।

9. उत्तराखण्ड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दशायें, जल एवं वायु प्रवूषण, बादल फटना, निर्वनीकरण, वनारिन, -बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिंक आपवायें एवं पारिस्थितिकीय दशाए।

10. राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था व महत्वपूर्ण योजनायें/पहलें 1

पृथक उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन एवं अद्यतन राजनैतिक घटनाक्रम .

परियोजनाएं; उत्तराखण्ड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्यायें।

11. राज्य द्वारा, जारी सांख्यिकीय आकड़े तथा उससे संबंधित विषय।

12. उत्तराखंड में जैव विविधता।

13. अन्य विविध विषय।